

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005

केन्द्रीय कार्यालय, सौदामिनी, प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001

Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

CIN : L40101DL1989GOI038121



दिनांक: 22 June, 2023

PGCIL/R/2023/M-9

Shri Nitin Kumar Goel,
S/o Late Naresh Goel, W-10, First Floor, Opposite Kalkaji Bus Depto, Govindpuri, Kalkaji,
New Delhi-110019

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 24 May, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (केन्द्रीय आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।

ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

22/06/23

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केन्द्रीय आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: श्री नितिन कुमार गोयल, गोविंद पुरी, नई दिल्ली के आर.टी.आई.आवेदन का जवाब

क्रमांक	मांगी गई जानकारी:	जवाब:
1.	मैसर्स: PEHCHAN ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., 307-308, एमका चैंबर, दूसरी मंजिल, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 सन-2019-20 से विज्ञापन एजेंसी के रूप पेनल पर है। एजेंसी द्वारा पेनल के समय कितना टर्न ओवर दिखाया गया था।	<p>क्रमांक 1 और 2 का जवाब:</p> <p>इस बात को ध्यान में रखते हुए कि M/s Pehchan Advertising & Marketing Pvt. Ltd. (PEHCHAN), New Delhi के टर्नओवर और कर्मचारी विवरण के बारे में मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष (PEHCHAN) की गोपनीय जानकारी है, अतः आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 11(1) के अनुसार मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण और साझा करने के संबंध में PEHCHAN से सहमति भी मांगी गई थी। जिसके जवाब में, PEHCHAN ने सूचित किया है कि मांगी गई जानकारी गोपनीय प्रकृति की है और इसे अनुरोधकर्ता के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।</p> <p>उपरोक्त विवरण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मांगी गई जानकारी में वाणिज्यिक विश्वास या व्यापर गोपनीयता शामिल है, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष (PEHCHAN) के हित को नुकसान हो सकता है, उसे आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) के अनुसार प्रदान नहीं किया जा सकता है।</p>
2.	संस्थान द्वारा कार्यरत कर्मचारियों की संखा कितनी दर्शाई गयी थी।	

 विका. C
 22/06/2025